



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in



ड.रा.बी.नि. होस्पिटल, अंकलेश्वर,
प्लॉट नं. H3012, 500 क्वाटर पास,
अंकलेश्वर, ज़ि. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लाट नं. H3012,
500 क्वाटर के पास, अंकलेश्वर, ज़ो. भरुच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500
Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

फाइल संख्या: 375/अ/49/2019/क.रा.बी.नि./अंक/फाइल-2

दिनांक: 02.12.2024

-: परिपत्र :-

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (वि रा का स) के पुनर्गठन के संबंध में।

राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल, अंकलेश्वर (गुजरात) में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन (वि रा का स) किया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन एवं निर्देशन में **“विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति” (वि रा का स) का पुनर्गठन किया गया है** जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जाते हैं: -

1. सहायक निदेशक -राजभाषा अधिकारी
2. सहायक निदेशक -वित्त एवं लेखा शाखा
3. एएनएस (सहायक नर्सिंग अधीक्षक)

(वि रा का स) समिति के कार्य:

1. हिन्दी की तीव्र प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी हेतु आवश्यक कदम उठाना।
2. कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना।
3. कार्यालय द्वारा एक (प्रति तिमाही में) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करवाना।
4. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजने से पहले त्रैमासिक बैठक आयोजित करना।
5. कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा 100% कार्य हिन्दी में किए जाने हेतु उत्साहित करना।
6. राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

बैठक की आवृत्ति:

1. वर्ष में 04 बैठकों (प्रति तिमाही एक बैठक) का आयोजित होंगी। यह परिपत्र चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन से निर्गत किया गया है।

विनोद कुमार
सहायक निदेशक (राजभाषा शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्रीमान महानिदेशक (राजभाषा), ESIC मुख्यालय, नई दिल्ली -110002।
2. क्षेत्रीय निदेशक, ESIC क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात (राजभाषा शाखा) अहमदाबाद (गुजरात)।
3. उपनिदेशक (राजभाषा), क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल, मुंबई।
4. निदेशक, ESIC, उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत/वडोदरा (गुजरात)।
5. चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि.अस्पताल, बापुनगर /नरोड़ा /वापी।
6. समस्त – सहायक निदेशक/शाखा प्रभारी, क.रा.बी.नि.अस्पताल, अंकलेश्वर।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ/पालनार्थ।
8. नोटिस बोर्ड/ कार्यालय प्रति।